भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4928

(सोमवार, 23 मार्च, 2026/2 चैत्र, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

व्यय न की गई सीएसआर निधि

4928. श्री राजकुमार रोतः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से अब तक व्यय न की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि में से सरकारी अधिसूचित कोष में जमा की गई कुल धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि कई कंपनियां दो प्रतिशत सीएसआर राशि व्यय करने में असमर्थ रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों की वर्षवार संख्या कितनी है और ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधियों में कंपनियों द्वारा अंतरित राशि अनुलग्नक में दी गई है, जिसमें कंपनियों के अव्ययित सीएसआर खातों से अंतरित निधियां शामिल हैं।

(ख) और (ग): कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक की निवल संपत्ति या 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक का कारोबार या तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध लाभ करने वाली प्रत्येक कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में तीन तत्काल वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% व्यय किए हों।

अधिनियम की धारा 135 (5) और (6) के अनुसार, किसी चालू परियोजना के मामले में, कंपनी को संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत से 30 दिनों के भीतर कंपनी के एक विशेष खाते अर्थात् 'अव्ययित सीएसआर खाता' में अव्ययित राशि को अंतरित करना आवश्यक है और इस तरह के अंतरण की तारीख से अगले तीन वित्तीय वर्षों के भीतर अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में इसे व्यय करना होगा। तीन वित्तीय वर्ष बीत जाने के बाद, व्यय न की गई शेष राशि, यदि कोई हो, को तीसरे वित्तीय वर्ष के पूरा होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित किसी भी निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित है। चालू परियोजना के अलावा अन्य के मामले में, कंपनी को संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत से छह महीने की अवधि के भीतर अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित किसी भी निधि में अव्ययित सीएसआर राशि को अंतरित करना आवश्यक है। मंत्रालय अव्ययित गई सीएसआर निधियों का ब्यौरा केन्द्रीय रूप से नहीं रखता है।

अनुलग्नक

दिनांक 23.03.2026 को उत्तर के लिए के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4928 के भाग (क) से संदर्भित

वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक केंद्रीकृत कोषों में अंतरित कुल राशि

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
केंद्रीकृत निधि*	624.61	910.74	787.22	799.18	1,156.86	1,790.69	3,491.30	1,631.01	1,145.78	1,000.83

(31.03.2025 तक का डाटा) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

***अधिनियम की अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट नामित निधियों अर्थात स्वच्छ गंगा निधि, स्वच्छ भारत निधि, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि और पीएम केयर निधि सहित।**
